


राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- वित्त प्रकोष्ठ/2012-13/578 दिनांक :- 28-3-2013

कार्यालय आदेश

राजस्थान राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 22.05.2012 के द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 प्रवृत्त किया गया है। अधिनियम की धारा 55 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 प्रवृत्त किये गये हैं, उक्त नियम की धारा 3 के तहत उक्त नियमों को राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किये जाते हैं, अतएव समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (Rajasthan transparency in public procurement Act-2012) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan transparency in public procurement Rules 2013) की अक्षरशः अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त अधिनियम/नियम राजस्थान सरकार की "Rajasthan state public procurement portal" की वेबसाईट "<http://sppp.raj.nic.in>" पर उपलब्ध है।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. लेखाधिकारी वसूली वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
14. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार